ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुरजीत कौर	01.04.2024 से 31.03.2025तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विपन कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख़) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये अन्तर	6.96

		बारे।	
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष।	12.97
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.07
4)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना।	0.01
5)	8	गृहकर / शादी पंजीकरण शुल्क से प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग।	0.15
6)	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना।	1.71
7)	9.2	क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना।	0.96
8)	9.3	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना।	0.95
9)	9.4	उचित बिलों के बिना भुगतान करना।	0.17
10)	9.5 व 9.6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से अधिक / अनियमित व्यय करना।	0.02
11)	10	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	4.52

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24/07/2025 से 29/07/2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	01/2025	03/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा" ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 399/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत मवा सिंधिया द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित गगरेट के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 644287 दिनांक 18/08/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत मवा सिंधिया द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग सहित समेकित)						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	3358522	5762763.10	9121285.10	6198317.10	2922968

नोट:- 15वें वित्तायोग शीर्ष के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियां भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है |

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मवा सिंधिया के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹704631.32** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	2922968.00
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**2192424.68**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	25912.00
4)	**योग (2+3)**	**2218336.68**
5)	**अन्तर (4-1)**	**704631.32**
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**695725.32**
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**8906.00**
कुल अंतर		**704631.25**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹6.96 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹695725.32** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386/2025 दिनांक 26/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अत: उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)	अन्तर (3-4) (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग के अतिरिक्त समेकित)	1296861	601135.68	695725.32

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹12.97 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय

किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **[परिशिष्ट क 1(a)]** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान (15वें वित्तायोग के अतिरिक्त) में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹1296861.00** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष

के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.07 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹7140 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	36830	53100	89930	82790	7140

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.01 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1200 सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	1200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 400/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलंग्र परिशिष्ट "ग" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 401/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

7.4 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा **₹1000** से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹1000** तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है| ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई| अत: उक्त अनियमितता

का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 387/2025 दिनांक 26/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर सचिव द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	**मास**	**हस्तगत राशि (₹)**
1.	04/2024 से 12/2024	25606
2.	01/2025 से 03/2025	25912

8 गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क से ₹0.15 लाख की प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान **निम्न विवरणानुसार** रसीदों अनुसार गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹14486** की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही के रोकड़ शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था। फलस्वरूप उक्त **₹14486** की राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 390/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही में कम दर्ज राशि **₹14486** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

क्रम संख्या	**रसीद संख्या**	**गृहकर / विवाह शुल्क से प्राप्त राशि, जिसे Online रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दर्ज किया गया (₹)**	**दिनांक 31.03.25 तक बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)**	**दिनांक 31.03.25 तक बैंक में कम जमा करवाई गई राशि (₹)**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या (Online)**	**टिप्पणी**
1	630701	200	0	200	25	**₹200** का इन्द्राज Online रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 25 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में राशि **₹3650** के साथ किया गया था, परन्तु जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.25 तक दर्ज नहीं पाई गई।
2	630710 से 630800	14006	दिनांक		29	**₹46136** का इन्द्राज Online

	630801 से 630900	14330	30.11.24 को बैंक में जमा करवाई गई राशि			रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 29 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में किया गया है, परन्तु जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.25 तक **₹8136** कम दर्ज पाई गई।
	630901 से 631000	12090				
	631001 से 631036	5710				
	योग	**46136**	**38000**	**8136**		
3	631044 से 631070	3280	दिनांक 28.10.24 को बैंक में जमा करवाई गई राशि		29	**₹20710** का इन्द्राज Online रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 29 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में किया गया है, परन्तु जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दिनांक 31.03.25 तक **₹2210** कम दर्ज पाई गई।
	631073 से 631100	5440				
	631101 से 631159	11990				
	योग	**20710**	**18500**	**2210**		
4	631163 से 631164	200	दिनांक 01.01.25 को बैंक में जमा करवाई गई राशि		39	**₹8100 के** स्थान पर **₹8000** का इन्द्राज Online रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 39 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में किया गया अर्थात् **₹100** रोकड़ बही में कम दर्ज किए किए व दिनांक 31.03.25 तक **₹100** बैंक में भी कम जमा करवाए गये।
	631168 से 621169	450				
	631173 से 631193	5510				
	631195 से 631200	1940				
	योग	**8100**	**8000**	**100**		
5	631201 से 631207	1200	0	**1200**	---	उक्त राशि को न तो बैंक में जमा करवाया गया था व न ही इसका इन्द्राज रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2025 तक किया गया था।
6	631217 से 631247	7260	**6000** (दिनांक 29.03.25 को बैंक में जमा करवाई गई राशि)	**1260**	46	**₹7260 के** स्थान पर **₹6000** का इन्द्राज Online रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 46 पर आय पक्ष के बैंक कॉलम में किया गया अर्थात् **₹1260** रोकड़ बही में कम दर्ज किए किए व दिनांक 31.03.25 तक **₹1260** बैंक में भी कम जमा करवाए गये।
7	631250 से 631255	1380	0	**1380**	--	उक्त राशि को न तो बैंक में जमा करवाया गया था व न ही इसका इन्द्राज रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2025 तक किया गया था।
योग (1+2+3+4+5+6+7)		**84986**	**70500**	**14486**	---	

9.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.71 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹170940** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए । अत: पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/34	3886 DTD. 06.06.24, 3631	JATIN SPUN PIPES CHHATERPUR DHADA	RCC PIPES	60090
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/37	443 11.10.24	MADAN LAL गगरेट	बोर्ड लिखवाई	15300
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/38	101, 102 14.01.25	SHRI SHRI RUDRA TILES VPO KHAD	PEVERS	56640
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/40	10070-10075 DTD 10.03.25	THAKUR ENTERPRISES VPO KUTHIARI	SAND, AGG	36210
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/41	098 01.01.25	VIDHYA PRINTERS & STATIONERY AMB	LETTER PADS	2700
					योग	**170940**

9.2 ₹0.96 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹95592** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 393/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/03/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/34	3886 DTD. 06.06.24, 3631	JATIN SPUN PIPES CHHATERPUR DHADA	RCC PIPES	60090
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	SDP/2024-25/P/1	92167 27.03.25	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	23154
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	SDP/2024-25/P/1	92168 27.03.25	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	9648
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	OWN/2024-25/P/41	098 01.01.25	VIDHYA PRINTERS & STATIONERY AMB	LETTER PADS	2700
					योग	**95592**

9.3 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹0.95 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 03/2025 में **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹95032** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 391/2025 दिनांक 29/07/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹95032** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 उचित बिलों के बिना ₹0.17 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 47 (2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से **निम्नानुसार** आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **निम्न विवरणानुसार ₹17460** का भुगतान किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर

भुगतान किया गया था, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 397/2025 दिनांक 29/07/2025 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त कर लिए जाएंगे। अतः उक्त आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	67-68	शून्य ---	श्री पवन कुमार वर्मा सपुत्र किशोरी लाल गांव मवा सिंधिया	चायपान	5840
2	यथोपरि	69	शून्य ---	श्री विनोद कुमार गांव अम्ब	ढुलाई	1000
3	यथोपरि	124	शून्य ---	श्री इकवाल सिंह गांव टटेहडा	चायपान	4000
4	यथोपरि	125	शून्य ---	श्री पवन कुमार वर्मा सपुत्र किशोरी लाल गांव मवा सिंधिया	चायपान	1820
5	यथोपरि	131	शून्य ---	श्री हरनेक सपुत्र श्री तरसेम लाल गांव टटेहडा	चायपान	4800
					योग	**17460**

9.5 ₹0.01 लाख का स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से अधिक / अनियमित व्यय करना:-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग की गई निर्माण सामग्री, मिक्सचर किराये पर लेने हेतु व्यय निविदायें आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें सुरिंदरजीत सिंह ट्रेक्टर ओनर गांव मवा सिंधिया से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी, परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त व्यक्ति को **निम्न विवरनानुसार ₹1200** का अधिक भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	मात्रा	भुगतान योग्य दर (₹)	भुगतान की गई दर (₹)	अन्तर	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	मिक्सचर	12	400	500	100	1200

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 395/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि **₹1200** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

9.6 योग में त्रुटी के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से योग में त्रुटी के कारण **निम्नानुसार ₹660 का** अधिक भुगतान श्री इकवाल सिंह गांव टटेहडा को किया गया था |

क्रम संख्या	बिल संख्या व दिनांक	माह	भुगतान योग्य राशि (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	शून्य	03/25	3340	4000	660

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 396/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि **₹660** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

10 ₹4.52 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त

अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार** स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹451842** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण अधियाचना संख्या 394/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अत: किए गए कार्यों के मुल्यांकन की जाँच अंकेक्षण दौरान सम्भव न हो सकी है | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	**शीर्ष**	**कार्य का नाम**	**बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	रिपेयर कम्युनिटी सेण्टर वार्ड नंबर 2	118931 (01.09.24 से 11.09.24), 35115 DTD 21.02.24, 372 DTD 04.08.24, 40 DTD 21.08.24, 585 DTD 17.09.24, 282 DTD 01.09.24	मजदूरी, SAND, AGG, BOARD, CARRIAGE, WATER TANN, GI PIPE ETC, WATER TANK STAND	49766	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई	
2	यथोपरि	रिपेयर सरायें वार्ड नंबर 1	118932 (20.09.24 से 30.09.24)	मजदूरी	12520	यथोपरि
3	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से सुशील फौजी वार्ड नंबर 2	36253 29.06.24, 36252 04.10.24, 387 02.08.24, 49 22.07.24	SAND, AGG, BOARD, CARRIAGE	75091	यथोपरि
4	यथोपरि	रिपेयर कम्युनिटी सेण्टर वार्ड नंबर 1	783 DTD. 23.02.23, 371 21.08.24, 53 DTD. 20.08.24, 37661 DTD.	BRICKS, BOARD, CARRIAGE, SAND, AGG	22198	यथोपरि

			11.02.24			
5	यथोपरि	रिपेयर सरायें वार्ड नंबर 7	35116 DTD. 01.02.24, 2399 DTD. 24.01.24, 281 DTD. 01.03.24, 38 DTD. 21.08.24, 374 DTD 01.09.24	SAND, AGG, TMT BAR, WATER TANKI, CARRIAGE	17892	यथोपरि
6	यथोपरि	रिपेयर आगनबाडी वार्ड नंबर 2	2399 DTD 24.01.24, 118943 (01.02.25 से 10.02.25)	TMT BAR	14139	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
7	यथोपरि	निर्माण पुल्ली अवादी लुवानेया वार्ड नंबर 7	3886 DTD 06.06.24	RCC PIPES	30000	यथोपरि
8	यथोपरि	निर्माण चार दिवारी जिम	3631 DTD शून्य	RCC PIPES	30090	यथोपरि
9	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से लेकर बाबा सिद्ध चनो मन्दिर	118941 (15.01.25 से 30.01.25, 066 DTD. 30.01.25, 101 DTD 14.01.25, 066 DTD 30.01.25, 10073-75 DTD. 10.03.25, 436 DTD 30.01.25	मजदूरी, पेवर/ ब्लॉक्स, ढुलाई, रेत बजरी, बोर्ड	91377	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
10	यथोपरि	रिपेयर लिंक रोड से ट्रांसफार्म से हरिजन वस्ती	118942 (14.01.25 से 30.01.25, 101 DTD 14.01.25, 067 DTD 31.01.25, 10070-72 DTD. 10.03.25, 437	मजदूरी, पेवर/ ब्लॉक्स, ढुलाई,रेत बजरी, बोर्ड	75967	प्रस्ताव संख्या, 34 नंबर फार्म, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, तकनीकी व प्रशासनिक

			DTD 30.01.25			स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।
11	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस रोड कुलभूषण, कमल ठाकुर से शमशान घाट तक	92167 27.03.25	CEMENT	23154	यथोपरि
12	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस रोड सतपाल, अवतार, राजेश आदि वार्ड नम्बर 5	92168 27.03.25	CEMENT	9648	यथोपरि
				योग	**451842**	

11 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 382/2025 दिनांक 25/07/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 02/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	बिल रजिस्टर	13	48

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2025 दिनांक 24/07/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 01/2025 दिनांक 29/07/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

14 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 14.X.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

14 OCT 2025 का0/प्रति

6540-6544

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)126/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

14 OCT 2025

का0/प्रति

(कृष्ण लाल नेगी) 14.X.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट "क"　　　　　　　　　　पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3358522	5762763.1	9121285.1	6198317.1	2922968

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN　SECRETARY
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN
Dev. Block Gagert Distt. Una (H.P.)

~~22~~

20

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3358522	2881094	6239616	3316648	2922968

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1691496	1393027	3084523	1787662	1296861

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1667026	1488067	3155093	1528986	1626107

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECRETARY
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN
Dev. Block Gagert Distt. Una (H.P.)

~~23~~ 21

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	2430277.1	2430277.1	2430277.1	0

3) स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	451392	451392	451392	0

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECRETARY
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN
Dev. Block Gagret Distt. Una (H.P.)

24

22

2

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Gagret (Own & GIA)	20037069530	528840.48
	HDFC GAGRET (15TH FC)	50100339391730	1617201.00
	HDFC GAGRET (VKVNY)	50100209819436	45328.60
	HDFC GAGRET	50100209819910	0.60
	HP GRAMIN BANK GAGRET (SBM)	88720100002274	1054.00
		योग	**2192424.68**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	25912.00
		योग (1+2)	**2218336.68**

PRADHAN SECRETARY
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN

~~25~~ 23

1)	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1 (क) का अंतशेष	2922968.00
2)	दिनांक 31.03.2025 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**2192424.68**
3)	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि	25912.00
4)	**योग (2+3)**	**2218336.68**
5)	**अन्तर (1-4)**	**704631.32**

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECRETARY
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN
Dev. Block Gagret Distt. Una (H.P.)

~~26~~ 24

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मवा सिंधिया, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	36830	53100	89930	82790	7140

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससे प्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है |

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECRETARY
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN
Dev. Block Gagert Distt. Una (H.P.)

~~27~~ 25

परिशिष्ट 'ग' पैरा संख्या 7.2 व 7.3 के सन्दर्भ में

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1.	अनमोल ठाकुर	21.07.24	03.08.24	630701	200	200	0
2.	विशाल सिंह	11.10.24	30.10.24	---	200	0	200
3.	रोहित ठाकुर	07.10.24	30.10.24	630711	200	200	0
4.	साहिल कुमार	24.11.24	23.12.24	631188	200	200	0
5.	दीपक कुमार	11.12.24	03.01.25	631189	200	200	0
6.	अजय कुमार	20.02.25	10.03.25	631250	200	200	0
7.	अमित राणा	21.02.25	10.03.25	631255	200	200	0
				योग	**1400**	**1200**	**200**

28 26

परिशिष्ट 'च' पैरा संख्या 1.3 के सन्दर्भ

माह 03/25 में खरीदी गई रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि का विवरण:-

क्रम संख्या	योजना	कार्य का नाम	बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि
1	स्वय स्त्रोत व अनुदान समेकित	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से सुशील फौजी वार्ड नंबर 2	36253 29.06.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	31421
2	यथोपरि	do	36252 04.10.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	13510
3.	यथोपरि	रिपेयर कमुनिटी सेंटर वार्ड नंबर 1	37661 11.02.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	3198
4.	यथोपरि	रिपेयर सराये वार्ड नंबर 7	35116 01.02.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	4893
5	यथोपरि	रिपेयर कमुनिटी सेंटर वार्ड नंबर 2	35115 01.02.24	Krishna stone crusher Tatehra	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	5800
6	यथोपरि	रिपेयर लिंक रोड से ट्रांसफार्म से हरिजन वस्ती	10070 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	5617
7	यथोपरि	रिपेयर लिंक रोड से ट्रांसफार्म से हरिजन वस्ती	10071 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	1926
8	यथोपरि	रिपेयर लिंक रोड से ट्रांसफार्म से हरिजन वस्ती	10072 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	4567
9	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से लेकर बाबा सिद्ध चनो मन्दिर	10073 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	8988
10	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से लेकर बाबा सिद्ध चनो मन्दिर	10074 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	9660
11	यथोपरि	निर्माण एम्बुलेंस मार्ग लिंक रोड से लेकर बाबा सिद्ध चनो मन्दिर	10075 10.03.25	Thakur enterprises VPO Kuthiari	रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि	5452
					योग	**95032**

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

PRADHAN SECRETARY
GRAM PANCHAYAT MAWA SINDHIAN
Dev. Block Gagret Distt. Una (H.P.)

27